बहनों के भाई
नरेन्द्र मोदी

माननीय प्रधानमंत्री
श्री नरेन्द्र मोदी जी
द्वारा देशवासी बहनों के लिए
कल्याणकारी योजनाओं
की एक सार्थक भेंट

द्वारा
अर्चना मीना

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः।।

जहाँ नारियों का सम्मान होता है,
वहाँ दिव्य शक्तियाँ रमण और निवास करती हैं।
और जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता है,
वहाँ समस्त अच्छी से अच्छी क्रियाएं और
उसके कर्मफल अर्थहीन हो जाते हैं ।

Where Women are honoured, divinity blossoms there, and where ever women are dishonoured, all action no matter how noble it may be, remains unfruitful.

प्रिय बहनों,

प्रतिनिधि का चुनाव प्रगति की गति को चुनने का अवसर होता है। आज हम जिस कालखंड में जी रहे हैं वह बहुत से अर्थों में हमारे भाग्यशाली होने का प्रमाण है, चूँकि हम कहीं ना कहीं अपने भाग्य के विधाता की भूमिका में स्वयं खड़े हैं। महिलाओं के उत्थान एवं सशक्तिकरण में यह हमारी निर्णायक भूमिका अति महत्वपूर्ण साबित हुई है जबसे हमने देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को चुना है ।

नेतृत्व करना तब सार्थक होता है जब नेतृत्व करने वाला अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक अपनी पहुँच बना पाए। जब उसकी भी बात सुनी जाए जो बोल नहीं पाता, जब उसके बारे में भी सोचा जाए जो स्वयं अपने बारे में नहीं सोच पाता। सौभाग्य से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमे ऐसा ही नेतृत्व प्राप्त हुआ है। वोट के रूप में देश की समस्त महिलाओं ने मोदी जी के हाथ में जो विश्वास का सूत्र बाँधा, उसकी लाज उन्होंने एक भाई की भाँति कल्याणकारी योजनाओं से उनकी झोली भर कर रखी है ।

महिलाओं के हितार्थ मोदी जी ने अनेक ऐसी लाभकारी योजनाऐं लागू की हैं जो स्त्री के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होंगी। आपके हाथों में सरल रूप में ऐसी ही प्रमुख योजनायें इस पुस्तक में संकलित करने का मैंने प्रयास किया है ताकि इनसे संबंधित जानकारी अधिकाधिक महिलाओं एवं उनके परिवारजनों तक पहुँच सके।

आशा है इस से मेरी बहनें लाभान्वित होंगी।

शुभेच्छा पूर्वक –
अर्चना मीना

अनुक्रमणिका

INDEX

विवरण	पृष्ठ संख्या
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	1
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना	6
प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना	11
सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना	17
फ्री सिलाई मशीन योजना	22
महिला–ई हाट	26
कामकाजी महिला छात्रावास योजना	30
महिला हेल्पलाइन योजना	34
वन–स्टॉप सेंटर योजना	39
महिला पुलिस वॉलंटियर स्कीम	44
लखपति दीदी योजना	45

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार कहा था की उनके बचपन में उन्होंने अपनी माँ को धुएँ से भरे रसोईघर में परिवार के लिए भोजन बनाते हुए देखा है। जब चूल्हे के धुएँ के कारण भोजन करते समय कभी कभी माँ का चेहरा नहीं दिखाई देता था। प्रधानमंत्री बनने के पश्चात उन्होंने भारत की हर स्त्री के जीवन से इस कठिनाई को दूर करने का प्रण लिया और "स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन'' के नारे के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में केंद्र सरकार नें 1 मई 2016 को एक सामाजिक कल्याण योजना–''प्रधानमंत्री उज्जवला योजना'' की शुरूआत की।

यह योजना एक धुँआरहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है और वर्ष 2019 तक 5 करोड़ परिवारों, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है। योजना से एलपीजी के उपयोग में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य संबंधी विकार, वायु प्रदूषण एवं वनों की कटाई को कम करने में मदद मिलेगी। भारत सरकार का पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इस योजना को क्रियान्वित कर रहा है।

हमारे देश में आज भी कई घर ऐसे हैं जिनके पास रसोई गैस उपलब्ध नहीं है। जिसके कारण उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से देश की एपीएल, बीपीएल तथा राशन कार्ड धारक महिलाओं को रसोई गैस उपलब्ध करवाया जाएगा।

PMUY Yojana के अंतर्गत केंद्र सरकार सभी BPL तथा APL राशन कार्ड धारक परिवार की महिलाओ को 1600 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2023 के द्वारा केंद्र सरकार देश के सभी गरीब एपीएल तथा बीपीएल परिवारों को LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना भारत सरकार का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए लाभार्थी महिलाओ की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकती है ।

उज्ज्वला योजना का उद्देश्य

PMUY Yojana का मुख्य उद्देश्य भारत में अशुद्ध ईंधन को छोड़कर स्वच्छ एलपीजी ईंधन को बढ़ावा देगा तथा पर्यावरण को दूषित होने से बचाना। गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की महिलाओ को लकड़ी एकत्र करके चूल्हा जलाकर खाना पकाना पड़ता है इसके धुएं से महिलाओ तथा बच्चो के स्वास्थ्य को हानि होती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मिलने वाली एल पी जी गैस के इस्तेमाल से महिलाओ तथा बच्चो के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सकेगा। इस योजना के द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।

पीएम उज्ज्वला योजना के लाभ

- इस योजना का लाभ देश की गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिलाओ को प्रदान किया जायेगा।
- देश की महिलाओ को इस योजना के तहत निःशुल्क LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जायेगा।
- पीएम उज्ज्वला योजना 2023 का लाभ 18 वर्ष से अधिक महिलाओ को उपलब्ध कराया जायेगा।
- इस योजना द्वारा अब महिलाओं को भोजन बनाने में आसानी होगी।

- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य 8 करोड़ घरों में मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाये।
- आवेदक का बैंक खाता होना अनिवार्य है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी

- वह सभी लोग जो SECC 2011 के अंतर्गत लिस्टेड है।
- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की सभी एससी / एसटी परिवारों की महिलाऐं।
- गरीबी रेखा से नीचे आने वाले महिलाऐं।
- अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाली महिलाऐं ।
- वनवासी।
- अति पिछड़ा वर्ग।
- चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियाँ।
- द्वीप में रहने वाली महिलाऐं।
- नदी के द्वीपों में रहने वाली महिलाऐं एवं परिवार।

पीएम उज्ज्वला योजना के मुख्य तथ्य

- जो परिवार योजना के लिए पात्र हैं, उन्हें 1600 रुपये मिलेंगे। राशि को महिलाओं के घर के खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। घरवालों को EMI की सेवा भी दी जाती है।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दी जाने वाली 1 अप्रैल से फ्री गैस सिलेंडर की राशि पहली किस्त की तर्ज पर सरकार द्वारा भेजनी शुरू कर दी गई है। 14.2 किलोग्राम वाले तीन एलपीजी सिलेंडर ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे।
- हर लाभार्थी को महीने में एक फ्री सिलेंडर दिया जाना है। पहले गैस सिलेंडर की डिलीवरी उठाने पर दूसरे किश्त की राशि उपभोक्ता के खाते में जाएगी। उसके बाद तीसरी क़िस्त दी जाएगी। दो रिफिल के बीच 15 दिन का अंतराल होना चाहिए।

- यह योजना केवल उन परिवारों के लिए है जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। अद्यतन करने के बाद सरकार ने 2019–2020 के वित्तीय वर्ष में 8 करोड़ परिवारों को शामिल किया।
- प्राधिकरण द्वारा आवंटित 800 करोड़ का बजट है। मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने के लिए, बीपीएल परिवारों को इस योजना के लिए आवेदन करना होगा।
- पीएमयूवाई योजना वर्तमान में सक्रिय है और देश के अधिकांश जिलों को कवर करती है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की पात्रता

- आवेदक महिला होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत आवेदक गरीबी रेखा से नीचे होनी चाहिए।
- आवेदक के बैंक का खाता होना चाहिए
- आवेदक के पास पहले से एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2023 दस्तावेज़

- नगर पालिका अध्यक्ष (शहरी क्षेत्र) / पंचायत प्रधान (ग्रामीण क्षेत्र) द्वारा जारी बीपीएल प्रमाण पत्र
- पहचान प्रमाण पत्र (आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र)
- बीपीएल राशन कार्ड
- परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- जन धन बैंक खाता विवरण / बैंक पासबुक
- निर्धारित प्रारूप में 14 पॉइंट्स की डिक्लेरेशन जो कि आवेदक द्वारा हस्ताक्षर की गई हो।

हेल्पलाइन नंबर 1906 & 18002333555

इस महिलाओं के प्रति कल्याणकारी भावना के साथ प्रारंभ की गई योजना का दूसरा चरण रक्षाबंधन के त्यौहार के पास प्रारंभ करते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था की बीते सात दशकों में ऐसी कई परिस्थितिया हैं जिन्हें बदला जाना सरकारों की प्राथमिकता में होना आवश्यक था किंतु बदलाव नहीं किया गया। बिजली, पानी, शौचालय, गैस, सड़क, अस्पताल आदि की उपलब्धता प्रगति का पहला चरण है ।

उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर यह उनकी ओर से उनकी देशवासी बहनों को रक्षासूत्र के बदले उपहार है। उनका यह विचार एक सटीक विश्लेषण की उपज ही हो सकता है कि महिला अपनी योग्यता एवं क्षमता को तभी बाहर ले जा कर देश के हितार्थ काम में ले सकती है जब उसे मूलभूत समस्याओं से स्वतंत्रता प्राप्त हो।

“ नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे ”

शक्ति स्वरूपा, विविधरूपा, भारत माता मुक्तिदायिनी
दुर्गा, लक्ष्मी और ब्रह्माणी, नारी तू नारायणी।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

"आइये बेटी के जन्म का उत्सव मनाएँ"

हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया यह वाक्य केवल एक कथन ही नहीं है। श्रेष्ठ पुरुषों की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता यह वाक्य इसी शाश्वत सत्य का प्रमाण है। बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से उन्होंने भारत के प्रत्येक घर को बेटी के जन्म का उत्सव मनाने का उद्देश्य कारण के साथ भेंट में दिया है।

22 जनवरी 2015 को प्रारंभ की गई यह योजना बालिकाओं के अस्तित्व, उनकी सुरक्षित भविष्य की उड़ान और शिक्षा को सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त करती है। यह योजना देश के प्रत्येक जिले में संचालित की जा रही है। योजना अपने नाम के अनुसार कन्या भ्रूण हत्या को प्रभावी तरीके से रोकने और बालिकाओं के सर्वांगीण विकास को गति देने के उद्देश्य से कार्य रूप में लाई गई है ताकि बालिकाओं के प्रति समाज में व्याप्त लंबे समय से चली आ रही कुरीतियों जैसे अशिक्षा, लिंगभेद, असमानता, कुपोषण, बालविवाह ,दहेज प्रथा आदि को समूल नष्ट किया जा सके।

योजना का नाम	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
किसने आरंभ की	भारत सरकार
लाभार्थी	भारत के नागरिक
उद्देश्य	लिंगानुपात में सुधार करना
आधिकारिक वेबसाइट	https://wcd.nic.in/bbbp -schemes
वर्ष	2023

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में कुछ नऐ तत्वों को किया जा रहा है शामिल

केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2023 को संशोधित करके एक नया रूप दिया है। इस योजना के नए रूप में सरकार कुछ नए तत्वों जैसे–बालिकाओं को कौशल प्रदान करने, माध्यमिक शिक्षा में उनका नामांकन बढ़ाने, मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता के बारे में उन्हें जागरूक करने और बाल विवाह को समाप्त करने आदि को शामिल करने जा रही है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लाभ तथा विशेषताएं

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को आरंभ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से बालिकाओं के अस्तित्व, सुरक्षा और शिक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा।
- लिंग अनुपात में सुधार करने का भी इस योजना के माध्यम से प्रयास किया जाएगा।
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत भ्रूण हत्या को रोका जाएगा।
- इसके अलावा बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जाएंगे।
- सरकार द्वारा इस योजना को वर्ष 2014–15 में केवल 100 जिलों में आरंभ किया गया था।
- वर्ष 2015–16 में इस योजना में 61 और जिले जोड़ दिए गए थे।

- इस समय यह योजना देश के प्रत्येक जिले में संचालित की जा रही है।
- इस योजना के माध्यम से बेटियों के जीवन स्तर में सुधार आएगा एवं उनका भविष्य उज्जवल बनेगा।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना टारगेट ग्रुप

- प्राथमिक–युवा एवं नवविवाहित जोड़े, गर्भवती एवं छोटे बच्चों की माताएं, माता पिता
- माध्यमिक – युवा, किशोर, चिकित्सक, निजी अस्पताल, नर्सिंग होम एवं डायग्नोस्टिक सेंटर
- तृतीय – अधिकारी, पंचायती राज संस्थान, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता, महिला स्वयं सहायता समूह/सामूहिक, धार्मिक नेता, स्वयंसेवी संगठन, मीडिया, चिकित्सा संघ, उद्योग संघ, आम जनता

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ऑडिट एवं सोशल ऑडिट

- ऑडिट कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।
- इस चैनल का केंद्र एवं राज्य सरकार के स्तर पर पालन किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत सोशल ऑडिट भी किया जाएगा।
- सोशल ऑडिट सिविल सोसाइटी ग्रुप द्वारा किया जाएगा।
- सोशल ऑडिट जनता एवं भाग लेने वाली संस्थानों से लिए गए फीडबैक के आधार पर किया जाएगा।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मूल्यांकन

- इस योजना का मूल्यांकन स्वतंत्र एजेंसी द्वारा नीति आयोग के परामर्श से किया जाएगा।
- एकरूपता बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा सर्वेक्षण/समवर्ती मूल्यांकन तंत्र के प्रमुख और कार्यप्रणाली तैयार की जाएगी।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की रिपोर्टिंग

- निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए सरकार द्वारा ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित की गई है।
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना केंद्र सरकार की योजना है।
- इस योजना को राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।
- भारत सरकार द्वारा जिला कलेक्टरों को योजना के कार्यान्वयन के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय केंद्र से योजना के बजटीय नियंत्रण और प्रशासन के लिए जिम्मेदार होगा।
- महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव निर्देशक एवं अन्य अधिकारी योजना के समग्र क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे।
- जिला स्तर पर डीपीओ योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी होंगे।
- इस योजना को ICDS प्लेटफार्म के माध्यम से लागू किया जाएगा।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की निगरानी

- राष्ट्रीय स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की निगरानी नेशनल टास्क फोर्स द्वारा की जाएगी। टास्क फोर्स द्वारा राज्य स्तरीय सहयोग प्रदान किया जाएगा। जिससे इस योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।
- राज्य स्तर पर इस योजना की निगरानी स्टेट टास्क फोर्स द्वारा की जाएगी। स्टेट टास्क फोर्स को एडमिनिस्ट्रेटर/यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से संचालित किया जाएगा।
- जिला स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की निगरानी जिला टास्क फोर्स के माध्यम से की जाएगी। इस टास्क फोर्स को जिला कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर द्वारा संचालित किया जाएगा।
- ब्लॉक लेवल पर इस योजना का कार्यान्वयन ब्लॉक लेवल कमिटी द्वारा किया जाएगा जिसके चेयरपर्सन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/सब डिविजनल ऑफिसर होंगे।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कॉम्पोनेंट्स

लोगों के बीच बेटियों को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न प्रकार के मीडिया अभियान भी संचालित किए जा रहे हैं। यह अभियान टीवी, रेडियो, इंटरनेट, न्यूज़पेपर आदि के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। जिनके माध्यम से देश के नागरिकों की बेटियों को लेकर नकारात्मक सोच को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

चुनिंदा जेंडर क्रिटिकल जिलों में बहु क्षत्रीय हस्तक्षेप सीएसआर राज्य टास्क फोर्स के माध्यम से जेंडर क्रिटिकल जिलों में कार्यवाही की जाएगी। इस कार्यवाही के माध्यम से यह निर्णय लिया जाएगा कि इन जिलों का जेंडर क्रिटिकल होने का क्या कारण है।

बेटियों को बचाए बिना हम राष्ट्र के भविष्य को संरक्षित नहीं कर सकते यह निश्चित है। देश की आधी आबादी का कमजोर रह जाना हमारी आधी शक्ति को अपने हाथों से नष्ट करना है। हमारी बेटियाँ सुरक्षित रहें, शिक्षित व संस्कारी बनें तभी देश का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शितापूर्ण नेतृत्व और कथनी एवं करनी में अंतर ना करने की कार्यशैली ही है कि आज भारत का कोई भी नागरिक ऐसा नहीं है जिसे बेटी बचाओ – बेटी बढ़ाओ का नारा याद ना हो।

एक दिन आएगा जब भारत को प्राचीनकाल की भाँति पुनः विदुषी और सशक्त सुरक्षित नारियों के देश के रूप में विश्व पहचानेगा।

प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना

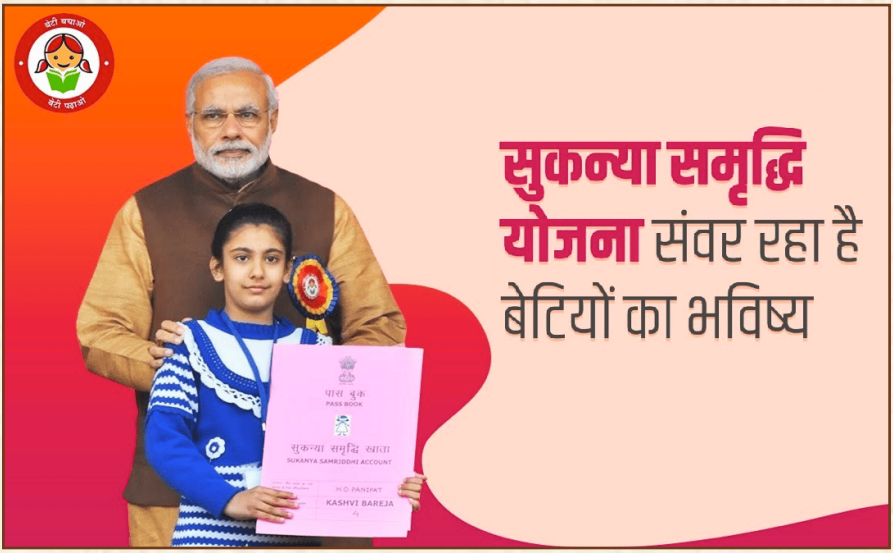

बेटी बोझ नहीं बल्कि वह सुरक्षित निवेश है जो कभी नहीं डूबता।

बेटियों का जन्म समाज में कब दुःख का कारण बना ? यदि इस प्रश्न के उत्तर को खोजें तो हमे पता चलता है कि समाज में व्याप्त ऐसी अनेक कुरीतियाँ हैं जो आज हमे उस गलत मार्ग पर ले आईं जो हमारा लक्ष्य कभी नहीं था। विवाह में होने वाला व्यर्थ खर्च, दहेज देने–लेने की प्रथा, समाज में फैलती असुरक्षा धीरे–धीरे हमारे मानस में ऐसे कारणों के रूप में घर कर गई कि आम व्यक्ति सोचने लगा कि इन कारणों का उद्भव बेटी का जन्म है। जबकि कारण हमारे समाज में अशिक्षा और असामाजिक तत्वों का लालच, संकीर्णता और आपराधिक प्रवृति थी।

हमने चंदन के पेड़ पर लिपटे विषैले सर्प को हटाने का समाधान चंदन के पेड़ को ही काट डालने में जाना। माननीय प्रधानमंत्री जी भारत के विभिन्न समाजों में व्याप्त मानसिकता की सटीक पकड़ रखते हैं और इसी कारण उन्होंने सर्प हटाने और चंदन का पेड़ बचाने की बात सोची ।

बेटी के पैदा होते ही कर्ज में डूबने की आशंका में घिरे माता–पिता उसे पढ़ाने से कतराते हैं अतः उनको बेटी के जन्म से ही सुरक्षित और लाभदायक निवेश की सहायता देना उन्हें भविष्य के लिए निश्चिंत करने की दिशा में एक सार्थक कदम है। सुकन्या समृद्धि योजना इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रारंभ की गई है ।

देश में बेटियों के उत्थान और उनकी स्थिति को बेहतर करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार कई तरह की बचत योजनाओं की शुरुआत कर बेटियों को लाभान्वित करती है, ऐसी ही एक बचत योजना के माध्यम से माता–पिता को उनकी बेटियों के भविष्य हेतु बचत करने की सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से बेटी के माता–पिता अपनी बालिका का अकाउंट बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोलकर भविष्य में उनकी उच्च शिक्षा और पढ़ाई के लिए बचत कर सकेंगे। SSY के तहत खाता खोलने पर लाभार्थी बालिका को सरकार द्वारा 7.6% ब्याज प्रदान किया जाएगा, जिसका लाभ बालिका 21 वर्ष की होने के बाद प्राप्त कर सकेगी।

सुकन्या समृद्धि योजना क्या है ?

सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई योजना है, जिसे बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार बेटियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए माता–पिता को बचत करने की सुविधा प्रदान करती है। एसएसवाई के तहत 10 साल या इससे कम आयु की बालिका का खाता खुलवाया जा सकता है, अकाउंट खुलवाने के लिए न्यूनतम राशि 250 रूपये और अधिकतम राशि 1.5 लाख रूपये निर्धारित है, जिसमे आवेदक अपनी सुविधानुसार बेटी के खाते में पैसे जमा कर सकते हैं, जिसमे लाभार्थी को खाता खोलने की तिथि से 14 साल तक खाते में पैसे जमा करने होंगे। जिसके बाद बालिका के 21 वर्ष की होने के बाद वह खाते में एकमुश्त रकम निकाल सकेगी, बालिका चाहे तो 18 वर्ष की होने पर भी बैंक से 50% राशि पैसे निकाल सकेगी।

योजना एक दृष्टि में –

योजना का नाम	प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना
शुरू की गई	केंद्र सरकार द्वारा
आरम्भ तिथि	22 जनवरी, 2015
आवेदन प्रक्रिया	ऑफलाइन प्रक्रिया
लाभार्थी	देश की बालिका
उद्देश्य	बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने हेतु बचत की सुविधा प्रदान करना
योजना का प्रकार	केंद्र सरकारी योजना
ऑफिसियल वेबसाइट	nsiindia-gov-in

सुकन्या समृद्धि योजना के लाभ एवं विशेषताएं

- पीएम सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से नागरिक अपनी बेटी भविष्य के लिए धनराशि जमा कर सकेंगे।
- योजना के तहत 10 साल या उससे कम की बेटी के नाम पर खाता खुलवाकर आवेदक न्यूनतम 250 रूपये या अधिकतम 150000 रूपये राशि अपनी सुविधा अनुसार जमा कर सकते हैं।
- SSY योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन बैंक या पोस्ट ऑफिस में बेटी का खाता खोल सकते हैं।
- योजना के तहत आवेदन को सरकार द्वारा 7.6% ब्याज प्रदान किया जाएगा।
- आवेदक बालिका का खाता खोलने की तिथि से 21 साल की आयु तक खाता मैच्योर हो जाता है।
- योजना के तहत आवेदक बालिका चाहे अपनी उच्च शिक्षा या जरूरत के लिए 18 वर्ष होने पर भी पैसों की निकासी कर सकती है, लेकिन इस समय वह केवल 50% राशि ही निकाल सकेगी।
- योजना के अंतर्गत आवेदक बालिका का खाता एक डाकघर या बैंक से दूसरे डाकघर या बैंक में भी ट्रांसफर किया जा सकता है।
- सुकन्या समृद्धि योजना में 1000 रूपये से एसएसवाई खाता खोला जा सकता है।
- इस योजना के तहत एक परिवार की दो बालिकाएं लाभान्वित हो सकेंगी।
- इनकम टेक्स सेक्शन 80–C के तहत सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट टैक्स में छूट का लाभ मिलेगा।
- इस योजना के जरिए मिलने वाले ब्याज पर सरकार कोई भी टैक्स नहीं लगाएगी बल्कि इससे आपकी जमा राशि ब्याज से बढ़ेगी।
- योजना के तहत खाता खुलवाने से लेकर 14 साल तक आपको इसमें नियमित रूप से निवेश करना होगा।
- सुकन्या समृद्धि योजना के नागरिक अपनी बेटी के विवाह एवं उच्च शिक्षा में होने वाले खर्चे और आवश्यकताओं की पूर्ति बिना किसी आर्थिक समस्या के पूरी कर सकेंगे।

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के अंतर्गत नए बदलाव

केंद्र सरकार की ओर से सुकन्या समृद्धि योजना में 5 नए बदलाव किए गए हैं, जिनकी जानकारी कुछ इस प्रकार है।

- योजना के अंतर्गत आवेदक को एक साल में खाते में नियमित रूम से न्यूनतम 250 रूपये जमा करना अनिवार्य है, यदि लाभार्थी द्वारा यह राशि जमा नहीं की जाती तो उनका खाता डिफॉल्ट माना जाएगा। नए नियमों के अनुसार अगर SSY अकाउंट को दोबारा एक्टिवेट नहीं किया गया तो बालिका के परिपक्व होने तक आपके डिफॉल्ट खाते पर 2019 के नए नियम के अनुसार आपको निर्धारित 7.6% ब्याज दर मिलता रहेगा।
- सुकन्या समृद्धि योजना में एक परिवार की केवल एक बेटी के नाम से ही खाता खोला जा सकता है, लेकिन अगर दूसरी संतान जुड़वा बेटियां होती है, तो दोनों के नाम पर खाता खोला जा सकता है।
- योजना के तहत लाभार्थी बालिका का खाता दो परिस्थितियों में बंद कर दिया जाता है पहला बेटी की मृत्यु होने पर और दूसरा बेटी के निवास स्थान में परिवर्तन होने पर लेकिन नए बदलाव के बाद अब यदि बेटी के अभिभावक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भी खाता बंद कर दिया जाता है।
- SSY में पहले लाभार्थी बालिका को 10 साल की आयु में ही खाते का संचालन सौंप दिया जाता था, लेकिन अब नए नियमों के अनुसार लाभार्थी बालिका जब तक 18 साल की नहीं हो जाती तब तक वह खाते का संचालन स्वयं से नहीं कर सकती है, बालिका के 18 वर्ष पूरे होने तक उसके अभिभावकों द्वारा खाते का संचालन किया जाता है।
- नए नियमों के मुताबिक खाते में गलत ब्याज वापस करने के प्रावधान में बदलाव किया गया है, साथ ही खाते का सालाना ब्याज हर साल के अंत में जमा किया जाएगा।

सुकन्या समृद्धि योजना की पात्रता

सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को इसकी निर्धारित पात्रताओं को पूरा करना होगा, जिसके बाद ही योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी, ऐसी सभी पात्रता की जानकारी कुछ इस प्रकार है।

- योजना में आवेदन के लिए आवेदक भारत के स्थाई निवासी होने चाहिए।

- SSY के अंतर्गत नवजात शिशु से लेकर 10 साल तक की बालिका आवेदन हेतु पात्र होगी।
- योजना के अंतर्गत केवल एक बालिका के नाम से ही खाता खुलवाया जा सकेगा।
- एक परिवार की केवल दो बेटियां ही योजना में आवेदन हेतु पात्र होंगी।
- यदि एक बेटी के बाद दो जुड़वा बेटियां होती हैं, तो वह दोनों भी आवेदन के पात्र होंगी।

योजना के अंतर्गत आने वाले अधिकृत बैंकों की सूची

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	अलाहाबाद
एक्सिस बैंक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	पंजाब नेशनल बैंक	IDBI बैंक
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	आंध्रबैंक	बैंक ऑफ बरोदा
ICICI बैंक	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	इंडियन ओवरसीज बैंक	बैंक ऑफ इण्डिया
कॉरपोरेशन बैंक	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	पंजाब और सिंध बैंक	सिंडिकेट बैंक
विजया बैंक	यूको बैंक	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर
कैनरा बैंक	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	देना बैंक	इंडियन बैंक

सुकन्या समृद्धि योजना खाता कैलकुलेशन

एसएसवाई के अंतर्गत आवेदक को 21 वर्ष की योजना के कार्यकाल पूरा होने के बाद प्राप्त होने वाली राशि कुछ इस प्रकार है, उद्धरण के रूप में राशि की एक लिस्ट इस तरह दी गई है।

राशि (सालाना) (रूपये में)	राशि (14 वर्ष) (रूपये में)	राशि (21 वर्ष) (रूपये में)
1000	14000	46,821
2000	28000	93,643
5000	70000	2,34,107
10000	140000	4,68,215
20000	280000	9,36,429
50000	700000	23,41,073
100000	1400000	46,82,146
125000	1750000	58,52,683
150000	2100000	70,23,219

बेटी के जन्म से उसके भविष्य को ध्यान में रख कर किया गया यह निवेश माता पिता को निश्चिंत रखने में सहायक सिद्ध होगा। परिस्थिति अनुसार यह धनराशि बालिका की उच्च शिक्षा अथवा विवाह में काम आएगी। इस प्रकार बेटी का लालन पालन एवं शिक्षा गरीब माता पिता के लिये भी एक बोझ नहीं अपितु कर्तव्य के सरल निर्वहन के सुखद अनुभव के रूप में उनकी स्मृतियों में हमेशा रहेगा।

समाज में आए दिन दिखाई देने वाले अनेक उदाहरण हैं जहां बेटियों ने बेटों से अधिक अपने वृद्ध और असहाय माता पिता की सेवा की है और उन्हें भावनात्मक संबल प्रदान किया है। अतः बेटी में निवेश हमारे भविष्य की सुरक्षा में निवेश है।

दशपुत्रसमा कन्या दशपुत्रान्प्रवर्धयन्।
यत्फलं लभते मर्त्यस्तल्लभ्यं कन्ययैकया॥

अकेली कन्या ही दस पुत्रों के समान है।
दस पुत्रों के लालन–पालन से जो फल प्राप्त होता है
वह अकेले कन्या के पोषण से ही प्राप्त हो जाता है।

सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना

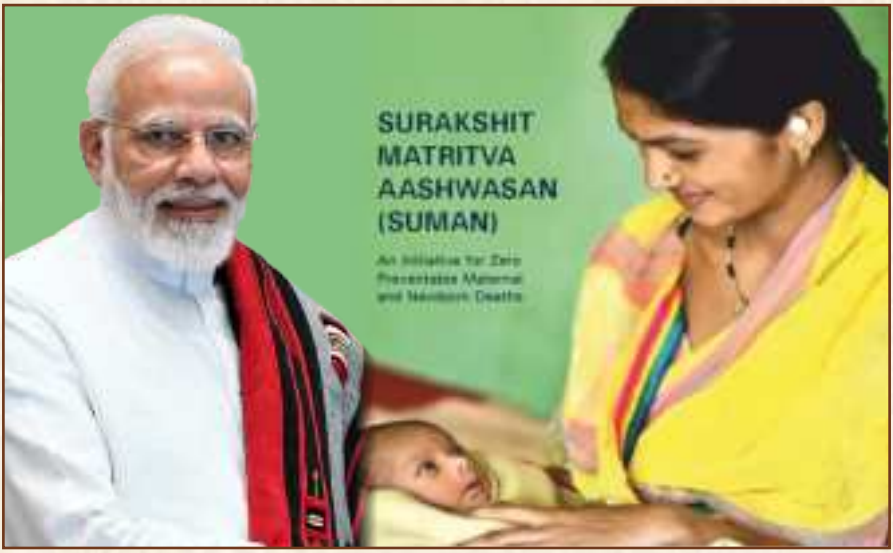

10 अक्टूबर 2019 को यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशानिर्देश द्वारा अस्तित्व में आई जिसके द्वारा माँ एवं नवजात शिशु की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया गया है। मातृत्व जितना एक स्त्री के लिए सुखद है उतना ही सही देखभाल ना मिलने पर वह जोखिम भरा भी साबित हो सकता है।

माता के रूप में स्त्री इसी कारण वंदनीय होती है कि माता स्वयं कष्ट सह कर और प्राणों को दाँव पर लगा कर भी ना केवल अपने बच्चे को जन्म देती है बल्कि उसको जीवन अमृत पिला कर उसका पोषण भी करती है। किंतु हमारे देश में अधिकांश माताएँ आज भी ना केवल गरीबी के कारण कुपोषित हैं बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव के चलते बच्चे के जन्म के समय विभिन्न जटिलताओं का सामना करती हैं।

प्रधानमंत्री जी के इस नवाचार के चलते अब माताओं और नवजात शिशुओं की मृत्युदर कम होगी एवं उनके स्वास्थ्य में सकारात्मक वृद्धि होगी। जो सुविधाएँ, स्वास्थ्य जाँच और मेडिकल सेवाएँ आर्थिक रूप से सक्षम महिलाओं को ही प्राप्त हो पाती थीं वे सभी अब इस योजना में पंजीकृत गरीब महिलाओं को भी मुफ्त में उपलब्ध होंगी।

देश की सरकार महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल हेतु कई तरह की योजनाओं को जारी करती रहती है। 10 अक्टूबर 2019 को राज्य के स्वास्थय मंत्री एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्ष वर्धन जी द्वारा सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत देश में जितनी भी गर्भवती महिलाएँ एवं नए जन्मे बच्चों की सुरक्षा हेतु सरकार इन्हे स्वास्थ्य से जुडी सभी सेवाओं को निःशुल्क प्रदान करेंगी। क्यूंकि कई बार महिलाओं एवं बच्चों को सही स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलती जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना के जरिये जिससे महिलाएं एवं बच्चे को हेल्थ से सम्बंधित निःशुल्क सेवा मिलेगी। अगर आप भी योजना का आवेदन करना चाहते है तो लिए आप दी गयी आधिकारिक वेबसाइट suman-nhp-gov-in पर जाकर आवेदन कर सकते है।

इस योजना के तहत सभी राज्य के सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रो में हर महीने 9 तारीख को सम्बंधित डॉक्टर की मदद से गर्भवती महिलाओं के पेट में पल रहे बच्चों की मुफ्त में जाँच की जाएगी। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना के तहत वे परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपने परिवार की गर्भवती महिला की सही से देखभाल नहीं कर पाते या जिनके परिवार वाले हॉस्पिटल्स् का खर्चा तक नहीं उठा पाते है उन महिलाओं की इस योजना के अंतर्गत पूरी देखभाल की जाएगी, जिसमें महिला के गर्भवती होने के 6 महीने से लेकर बच्चे के जन्म के 6 महीने तक मुफ्त इलाज, दवाइयाँ और स्वास्थ्य से सम्बंधित अन्य सेवाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाएँगी और इसके अलावा महिला की डिलीवरी के समय घर से हॉस्पिटल तक ले जाने का खर्चा भी मुफ्त में होगा।

प्रसव से पहले गर्भवती महिला चार बार अपना फ्री में चेकअप करवा सकती है जिससे उन्हें अपने होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में पता चलता रहेगा। योजना का लाभ देश के सभी गर्भवती महिला ले सकेंगी इसके लिए उन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन फॉर्म व इससे सम्बंधित जानकारी प्राप्त करनी होगी।

सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना योजना क्या है ?

योजना नाम	सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना (PMSMASY)
योजना की शुरुवात तारीख	10 अक्टूबर 2019
के द्वारा	हर्ष वर्धन जी द्वारा
लाभ लेने वाले	देश की गरीब गर्भवती महिलाएं
उद्देश्य	गर्भवती महिला व नवजात शिशु को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देना
श्रेणी	केंद्र सरकारी योजना
आवेदन प्रक्रिया	ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड
साल	2023
आधिकारिक वेबसाइट	suman-nhp-gov-in

सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना लाभ एवं विशेषताएँ

- सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के 4 बार का मुफ्त चेकअप का खर्चा सरकार द्वारा उठाया जायेगा।
- महिला के गर्भवती होने के 6 महीने से लेकर बच्चे के जन्म के 6 महीने तक मुफ्त इलाज, दवाइयाँ, और स्वास्थ्य से सम्बंधित अन्य सेवाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाएँगी
- महिला इस योजना की लाभार्थी डिलीवरी से पहले से डिलीवरी के बाद तक होंगी।
- स्वास्थ्य सुविधा महिलाओं को 1 घंटे के अंदर प्रदान की जाएगी।
- सुमन योजना के अंतर्गत महिला को सुरक्षित डिलीवरी की गारंटी दी जाती है।
- योजना का लक्ष्य महिला व नवजात शिशु की मृत्यु दरों को काम करना है।
- योजना की शुरुवात 10 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्ष वर्धन जी द्वारा की गयी।
- भोपाल राज्य में इस योजना का परिपालन करने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर भी बनायें गए हैं।

समय से शिकायत का हल	महिलाओं के डिस्चार्ज होने के बाद स्वास्थ्य संसथान से निशुल्क घर पहुंचाने की सुविधा
जीरो डोज वैक्सीनेशन (बच्चे का टीकाकरण)	घर से लेकर संस्थान तक फ्री परिवहन की सुविधा
प्रशिक्षित स्वास्थय कर्मियों द्वारा डिलीवरी (मिडवाइफ/SSA)	फ्री और जीरो खर्चा मैटरनल कम्प्लीकेशन (मातृत्व जटिलता) की पहचान हेतु
स्वास्थ्य संस्थान से बच्चे का जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना	गर्भवती महिला का 4 ANC जांच और 6 HBNC चेकअप हेतु विजिट
HIV, HBV, एवं सिफलिस के बच्चों के संक्रमण को कम करने के लिए माँ का उन्मूलन	बच्चे का सुरक्षा कार्ड एवं माँ की स्वास्थ्य बुकलेट
कई स्कीम के जरिये कंडीशनल कैश ट्रांसफर/ DBT लाभ	स्तनपान करने के लिए पूरी तरह से तैयारी और सहायता प्रदान कराना
IIC एवं BCC के तहत सुरक्षित मातृत्व परामर्श	इमरजेंसी के समय 1 घंटे के अंदर पहुंचें की सुविधा
बीमार नवजात शिशु की सुरक्षा का प्रबंधन	पोस्टपार्टम FP कॉउन्सिलिंग

सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना का उद्देश्य

योजना का उद्देश्य यह है कि देश में जितने भी ऐसे परिवार है जिनके घरो में गर्भवती महिलाएं है और परिवार वाले उनका अस्पताल का खर्चा उठाने और स्वास्थ्य सम्बंधित सेवाएं प्रदान कराने में असमर्थ होते है और कई बार गरीब महिलाओं के बच्चे के जन्म के समय उसे सही सुविधा नहीं मिलने के कारण उसकी मृत्यु तक हो जाती है। इस योजना के तहत सभी गरीब महिलाओं को सरकार द्वारा बच्चे के जन्म के बाद तक मुफ्त सेवाएं देंगी और इसके साथ साथ डिलीवरी के समय प्रशिक्षित डॉक्टर व नर्स उपलब्ध कराई जाएँगी। महिलाओं का सारा खर्चा सरकार द्वारा किया जायेगा ताकि उन्हें प्रसव के समय किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े और उन्हें सभी सुविधा मिल सके।

सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना के पात्रता

इस योजना का लाभ देश की सभी गर्भवती महिला ले सकेंगी।

- गरीब परिवार की महिलाएं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी वह इसका आवेदन कर सकेंगी।
- गांव व शहर में रह रही सभी महिलाएं इस योजना का पात्र समझी जाएँगी।

सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना आवश्यक दस्तावेज

अगर आप भी इस योजना का आवेदन करना चाहते है तो इसके लिए आपको सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना से जुड़े दस्तावेज के बारे में जानकारी होनी जरुरी है जिसके माध्यम से आप आसानी से आवेदन कर सकेंगे। योजना से जुड़े दस्तावेज इस प्रकार से है।

आधार कार्ड	निवास प्रमाणपत्र	राशन कार्ड
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर	बैंक पासबुक	पासपोर्ट साइज फोटो
इनकम सर्टिफिकेट	वोटर ID कार्ड	पैन कार्ड

हेल्पलाइन नंबर 1800–180–1104

एक स्त्री सबसे अधिक कृतज्ञता का भाव तब अनुभव करती है जब किसी ने एक माँ के रूप में उसके कर्तव्य निर्वहन के पथ को सरल एवं सुगम बनाने में उसकी सहायता सही समय पर की हो। यह योजना सही समय की जाने वाली ऐसी ही सार्थक सहायता है जो देश कि लाखों महिलाओं के लिये जीवनरक्षक सिद्ध होगी। हमारे प्रधानमंत्री माताओं के प्रति अपनी इस संवेदनशीलता के लिए मंगलकामनाओं और अभिनंदन के पात्र हैं।

फ्री सिलाई मशीन योजना

महिलाएँ स्वावलंबन, रचनात्मकता एवं समय नियोजन का स्वाभाविक गुण रखती हैं और यही वह विशेषता है कि एक महिला घर और बाहर दोनों क्षेत्रों में अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाती हैं।

अपने हुनर और कौशल को महिलाओं ने सदा से ही अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए उपयोगी बनाया है और इसमें सबसे अधिक जो काम महिलाओं ने अपनाया वह घर बैठे सिलाई करना था ।

इस कौशल से वे अपने घर और बच्चों को समय देते हुए धनोपार्जन भी कर सकती हैं। किंतु गरीब वर्ग से आने वाली महिलाओं के लिए सिलाई मशीन ख़रीदना संभव नहीं होता। इसी समस्या को दूर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ्री सिलाई मशीन योजना को प्रारंभ किया जिससे घर बैठे काम करने की इच्छुक महिलाओं के हाथों को भी काम मिल सके ।

हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत देश की सभी महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी जिसके जरिए वह आसानी से घर बैठे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं एवं अपने पैरों पर स्वयं खड़ी हो सकती हैं। इस योजना का लाभ देश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रो की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और श्रमिक महिलाओं को दिया जायेगा। फ्री सिलाई मशीन 2023 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा हर राज्य में 50000 के अधिक महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी। इस योजना के जरिये श्रमिक महिलायें फ्री सिलाई मशीन प्राप्त करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकेंगी। इसके अंतर्गत देश की जो इच्छुक महिलायें फ्री सिलाई मशीन लेना चाहती है उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। इस योजना के अंतर्गत केवल 20 से 40 वर्ष की आयु की ही महिलाये आवेदन कर सकती है ।

पीएम फ्री सिलाई मशीन योजना के बारे में जानकारी

योजना का नाम	पीएम फ्री सिलाई मशीन योजना
किसने शुरू की	प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा
उद्देश्य	महिला सशक्तिकरण
लाभ	महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीन
लाभार्थी	देश की महिलाएं
आधिकारिक वेबसाइट	———————

फ्री सिलाई मशीन योजना लाभ और विशेषताएँ

निशुल्क सिलाई मशीन योजना 2023 का मुख्य उद्देश्य देश की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओ को केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त में सिलाई मशीन उपलब्ध कराना हैं। फ्री सिलाई मशीन योजना के जरिये श्रमिक महिलाओ को रोजगार के अवसर प्रदान करके उनकी आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित कर उन्हें स्वावलंबी बनाना प्रधानमंत्री जी का इस योजना के पीछे का उद्देश्य हैं ।

- इस योजना का लाभ देश की श्रमिक महिलाओ को प्रदान किया जायेगा ।
- इस योजना के अंतर्गत देश की सभी श्रमिक महिलाओ को सरकार द्वारा निःशुल्क सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी।

- फ्री सिलाई मशीन प्राप्त करके देश की महिलाये घर बैठे लोगो के कपडे सिलकर अच्छी आमदनी अर्जित कर सकती है।
- देश की ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रो की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओ को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जायेगा।
- देश की गरीब महिलाओ को इस योजना के जरिये रोजगार के अवसर प्रदान किये जायेगे।
- फ्री सिलाई मशीन योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्देश
- लाभार्थियों को सिलाई मशीन की राशि, ट्रेडमार्क, सोर्स तथा खरीद की तिथि से संबंधित जानकारी प्रदान करनी होगी।
- इस योजना का लाभ केवल एक बार ही प्राप्त किया जा सकता है।

फ्री सिलाई मशीन योजना की पात्रता

- इस योजना के तहत आवेदन करने वाली महिलाओ की आयु 20 से 40 वर्ष होनी चाहिए
- इस फ्री सिलाई मशीन योजना 2023 के अंतर्गत श्रमिक महिलाओ के पति की वार्षिक आय 12000 रूपये से कम होनी चाहिए।
- देश की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाये ही फ्री सिलाई मशीन योजना 2023 के तहत पात्र होंगी ।
- देश की विधवा और दिव्यांग महिलाये भी इस योजना का लाभ उठा सकती है।
- पीएम सिलाई मशीन स्कीम के दस्तावेज
- आवेदिका का आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पहचान प्त्र
- यदि दिव्यांग है तो दिव्यांग चिकित्सा प्रमाण पत्र
- यदि कोई महिला विधवा है तो उसका निराश्रित विधवा प्रमाण पत्र
- सामुदायिक प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो

फ्री सिलाई मशीन योजना 2023 में आवेदन कैसे करे ?

- इस योजना के अंतर्गत जो इच्छुक श्रमिक महिलाए आवेदन करना चाहती है तो उन्हें सर्वप्रथम भारत सरकार की www.india.gov.in पर जाना होगा।
- सरकारी वेबसाइट पर जाने के बाद आपको वहाँ से आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे, नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर आदि भरना होगा ।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको अपने सभी दस्तावेजों को फोटो कॉपी को अपने आवेदन फॉर्म से अटैच करके अपने सम्बंधित कार्यालय में जाकर जमा करना होगा।
- इसके बाद आपके आवेदन फॉर्म को कार्यालय के अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जायेगा।
- सत्यापन करने के बाद आपको निःशुल्क सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी।

संसाधनों का अभाव जहां कौशल और अवसरों को नष्ट कर सकता है वही न्यूनतम संसाधनों की उपलब्धता कौशल में वृद्धि एवं रचनात्मकता में उत्तरोत्तर निखार लाने में सहायक सिद्ध होती है।

यही वो छोटे छोटे प्रयास व प्रेरणा हैं जो बड़े बदलावों के जनक सिद्ध होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि होने एवं गाँव से बचपन से जुड़े रहने के कारण मैंने ऐसी अनेक बहनों को देखा है जिन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई या उनकी किताबों और कपड़ों का खर्च घर में सिलाई कर के उठाया। यह योजना उनकी कर्मठता को पहचान देती है और प्रधानमंत्री जी ने इस योजना की भेंट दे कर अपनी उन्हीं बहनों के कठिन परिश्रम और स्वावलंबन का वंदन किया है ।

महिला-ई हाट

अब व्यापार की पहुँच डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से घर घर तक हो चुकी है। पहले महिलाएँ यदि उत्कृष्ट वस्तुओं का उत्पादन करने में सक्षम होती भी थीं तब भी उन्हें अपने उत्पादों की मार्केटिंग को ले कर चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। महिला ई– हाट योजना ऐसी ही उद्यमी महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूहों को ऑनलाइन बिक्री व मार्केटिंग का सशक्त एवं सुरक्षित मंच प्रदान कर उनकी पहुँच उपभोक्ता तक सुनिश्चित करने माध्यम है।

हमारे प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया का सपना देखते हैं और उस सपने को साकार करने की दिशा में यह उनका सशक्त प्रयास है।

उद्देश्य

महिला ई–हाट महिला उद्यमियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सार्थक पहल है। यह महिलाओं के लिए एक ऑनलाइन विपणन मंच है जहां वे अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर सकते हैं। यह 'डिजिटल इंडिया' का हिस्सा है और 'स्टैंड अप इंडिया' के रूप में देश भर में महिलाओं के लिए एक पहल है। यह मंच महिलाओं के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला कोष के तहत (आरएमके) स्थापित किया है। महिला उद्यमियों की सृजनात्मकता को निरंतर सहारा और सहायता प्रदान करके उनको सशक्त बनाना एवं अर्थव्यवस्था में उनकी वित्तीय भागीदारी को सुदृढ़ करना, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है।

मिशन

महिला उद्यमियों के लिए यह एक वेब आधारित विपणन मंच प्रदान किया गया है जिससे सीधे खरीददारों को बेचने के लिए वे एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगी। ऑनलाइन विपणन प्लेटफार्म के माध्यम से मेक इन इंडिया का समर्थन करना। महिला ई–हाट महिला उद्यमियों की अपेक्षाओं एवं जरूरतों को पूरा करने की एक पहल है। राष्ट्रीय महिला कोष की वेबसाइट पर यह पहल महिला उद्यमियों द्वारा बनाए गए/निर्मित/बेचे जाने वाले उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएगी। वे सृजनात्मक क्षमताओं को प्रदर्शित करके अपनी सेवाओं को भी प्रदर्शित कर सकती हैं। यह विशिष्ट ई–प्लेटफार्म महिलाओं के समाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण को सुदृढ़ बनाएगा।

ऑनलाइन मंच की विशेषताएं

- यह मंच महिलाओं द्वारा बनाया/निर्मित/उनके द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों के प्रदर्शन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए, महिला उद्यमियों के लिए एक अवसर प्रदान करता है।
- महिलाओं की रचनात्मक क्षमता को प्रतिबिंबित करती विधाएं इस मंच पर प्रस्तुत हो सकती है ।

- ई–हाट के रूप में पूरे कारोबार के निर्माता एक मोबाइल के माध्यम से अपना व्यापर नियंत्रित कर सकते है; जिसमें सिर्फ एक मोबाइल नंबर की आवश्यकता है।
- क्रेता और विक्रेता की सुविधा के लिए, तस्वीरें, विवरण, लागत और मोबाइल नंबर/निर्माता के पते के साथ उत्पाद ई–हाट पोर्टल पर प्रदर्शित किया जा रहा है।
- क्रेता शारीरिक रूप से विक्रेता के टेलीफोन या ईमेल या किसी भी अन्य साधनों के माध्यम से उससे सीधा संपर्क कर सकते है, यह महिला उद्यमियों/ स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन की सुविधा के लिए है।

विक्रेताओं के लिए महिला ई-हाट में भाग लेने के नियम और शर्तें

- महिला भारतीय नागरिक हो/महिला स्वयं सहायता समूह की हो/महिलाओं द्वारा उद्यम का नेतृत्व किया हो।
- उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

अन्य नियम और शर्तें

- सामान एवं उसकी गुणवत्ता की जिम्मेदारी पूर्णतया प्रतिभागी/ विक्रेता की होगी और राष्ट्रीय महिला कोष की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- प्रतिभागियों / विक्रेताओं को ही उत्पाद की किसी कमी या सेवा में किसी बाधा का निदान करना होगा; आरएमके जिम्मेदार नहीं होगा।
- प्रतिभागियों / विक्रेताओं को उपभोक्ता को उत्पाद / उत्पादों और सेवाओं का समय पर वितरण सुनिश्चित करना है।
- उत्पादों के 30 दिनों की एक न्यूनतम अवधि के लिए प्रदर्शित किया जाएगा और 30 दिनों के ब्रेक के बाद फिर से प्रदर्शित किया जा सकता है।
- आरएमके ई–हाट में प्रदर्शित होने वाले उत्पादों का चयन करेगा, सेवाओं को ई–हाट पर सूचीबद्ध होने के लिए सभी अधिकार सुरक्षित करेगा। चयन के बाद आरएमके प्रतिभागियों को सूचित करेंगे / फिर विक्रेता स्वीकृति पत्र भेजेंगे एवं फिर ही सेवा संपर्कों को प्रदर्शित किया जा सकता है।
- प्रतिभागियों / विक्रेताओं यह सुनिश्चित करना होगा कि अवैध या तस्करी के सामान प्रदर्शित नहीं हो रहे है क्यूंकि इस नियम का उल्लंघन प्रतिभागियों / विक्रेताओं पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है।

- प्रतिभागियों / विक्रेताओं यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश के कानून के अनुसार सभी कानूनी औपचारिकताओं एवं विदेशों में बिक्री के लिए के सभी नियम का एक साथ पालन कर रहे हैं।
- प्रतिभागियों / विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सभी लागू करों का भुगतान कर रहे हैं और प्रासंगिक कानूनों / नियमों और विनियमों का पालन कर रहे है।
- नियम और पात्रता शर्तों सहित आरएमके के विवेकाधिकार पर किसी भी समय पर बदला जा सकता है।
- प्रतिभागियों / विक्रेताओं को खरीदार से सीधे भुगतान प्राप्त होगा।
- प्रतिभागियों / विक्रेता अपने राज्य में लागू न्यूनतम शुल्क के स्टाम्प पेपर पर उपक्रम प्रस्तुत करेंगे।

भारत सही अर्थों में डिजिटल इंडिया तब बन पाएगा जब भारत की मातृशक्ति डिजिटल जगत को अपनाने का आत्मविश्वास अपने भीतर जगाएगी। इसकी शुरुआत अपने व्यापार को केवल एक स्मार्ट मोबाइल फोन के जरिए नए आयाम और नई पहचान दे कर की जा सकती है। ई– हाट योजना से जुड़ने का सुअवसर प्रदान कर सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला उद्यमीयों और महिला स्वयं सहायता समूहों को एक ऐसी कम्युनिटी बनाने और उससे जुड़ने का अवसर दिया है जो एक दूसरे का हाथ थाम साथ उड़ान भर सकते हैं और सफलता के नए कीर्तिमान खड़े कर सकते हैं।

कामकाजी महिला छात्रावास योजना

एक महिला के लिए योग्य होना चुनौती नहीं है अपितु अनुकूल परिस्थितियों का ना होना चुनौती है। सुरक्षा का अभाव उसके बढ़ते कदमों को प्रगति पथ पर बीच में ही रोक देता है और वह मन मसोस कर रह जाती है। ऐसी ही समस्या है महिलाओं के लिए घर से दूर कार्यक्षेत्र होने पर सुरक्षित आवास की समस्या और इसी समस्या के निदान के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन कामकाजी महिला छात्रावास योजना को क्रियान्वित किया गया जो महिलाओं को सुरक्षित कर उनको बाहर काम करने का संबल प्रदान करती है ।

कामकाजी महिला छात्रावास योजना से सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं में काम करने वाली महिलाओं को दूसरे शहर में अब किराए के कमरे या आवास की समस्या से नहीं जूझना होगा, क्योंकि कामकाजी महिलाओं के लिए सरकार ने छात्रावास की शुरूआत की है। इस योजना के तहत ऐसे ग्रामीण, अर्ध–शहरी, शहरी क्षेत्रों में छात्रावासों का निर्माण किया जाता है, जहां पर महिलाओं के लिए रोजगार होता है। इसके तहत छात्रावास भवनों के निर्माण और मौजूदा इमारतों के विस्तार में सहायता प्रदान की जाती है। सबसे बड़ी बात ये है कि रहने की उचित व्यवस्था न होने की वजह से जो महिलाएं किसी अन्य शहर में नौकरी करने से कतराती थीं, उन्हें अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास योजना केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारें भी चला रही हैं।

इस योजना के तहत वो महिलाएं भी छात्रावास में रह सकती हैं जो रोजगार के लिए प्रशिक्षण ले रही हैं हालांकि, कुल आवास का केवल 30 फीसदी ही इन महिलाओं के लिए उपलब्ध है।

कामकाजी महिला छात्रावास योजना 2023

योजना का नाम	कामकाजी महिला छात्रावास योजना
विभाग	महिला एवं बाल विकास विभाग
योजना के प्रकार	केंद्र सरकार योजना
योजना शुरू की गई	6 अप्रैल 2017 को
शुरू किया गया	केंद्र सरकार के द्वारा
वर्तमान साल	2023
उद्देश्य	कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास देना
लाभार्थी	देश की कामकाजी महिलाएं
लाभ	एकल, तलाकशुदा, विधवा और विवाहित महिलाएं

कामकाजी महिला छात्रावास योजना के लाभ एवं विशेषताएं

- इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि केंद्र सरकार के द्वारा कामकाजी महिला छात्रावास योजना के अंतर्गत देश की सभी कामकाजी महिलाओं को सरकार की ओर से हॉस्टल की सुविधा दी जा सके।
- इस योजना के अंतर्गत कामकाजी महिलाओं को उनके बच्चे की देखभाल की सुविधा भी दी जाएगी जिससे कि उनका बच्चा सुरक्षित रहे।

- इस योजना के अंतर्गत कुछ नियम शर्तों के साथ नौकरी के लिए ट्रेनिंग ले रही महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा जिससे कि उन महिलाओं को भी रहने की कोई भी समस्या ना हो।

कामकाजी महिला छात्रावास योजना की विशेषताएं

- इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए आवास की जरूरत पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा 70 हजार हॉस्टल स्थापित किये गये हैं।
- वर्किंग वूमेन हॉस्टल स्कीम के अंतर्गत अब तक 938 हॉस्टल का निर्माण कर दिया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत कामकाजी महिला 3 साल तक हॉस्टल की सुविधा ले सकती है।
- सरकार के द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों में ही महिलाओं के लिए छात्रावास में रहने की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।
- इस योजना के द्वारा वर्किंग वूमेन हॉस्टल स्कीम के अंतर्गत डे केयर सेंटर की भी सुविधा दी जाती है।

कामकाजी महिला छात्रावास योजना की पात्रता एवं शर्तें

- कामकाजी महिला छात्रावास योजना के अंतर्गत एकल, विधवा, तलाकशुदा और विवाहित महिला इस योजना का लाभ ले सकती है।
- जिस क्षेत्र में महिला काम करती है वहां उनके पति या फिर कोई रिश्तेदार नहीं होने चाहिए वही महिला ही इस योजना के पात्र मानी जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत उन महिलाओं को लाभ दिया जाता है जिनका नौकरी के लिए ट्रेनिंग पीरियड 1 साल से अधिक का होता है।
- गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिलाओं को इस योजना का पात्र माना जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत उन महिलाओं को लाभ दिया जाता है जिनका वेतन 50000 से कम हो और उम्र 18 साल या इससे अधिक हो।
- इस योजना के अंतर्गत उन्हीं महिलाओं को लाभ दिया जाता है जिनके बच्चे का कोई और देखभाल करने वाला नहीं है और उनके बच्चे लड़के की उम्र 9 वर्ष और लड़की की उम्र 15 वर्ष से कम है वे इस योजना की पात्र मानी जाती है।

इस योजना के अंतर्गत ना केवल शहरी अपितु कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुरक्षित स्थानों पर कामकाजी महिलाओं के रहने की श्रेष्ठ व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती है। यह योजना आवास तो उपलब्ध करवाती ही है साथ ही इस से जुड़ने वाली कामकाजी महिलाएँ अन्य उनके ही जैसी महिलाओं को जानने और एक दूसरे से सीखने का अवसर भी प्राप्त कर पाती हैं।एक दूसरे के संघर्षों से प्रेरणा ले, विभिन्न पृष्ठभूमियों से आई महिलाओं और उनकी समस्याओं एवं विचारों से प्रेरित हो कर विचारों में नवाचार, प्रयासों में नव ऊर्जा और स्त्री शक्ति में एकता का प्रसार होता है अतः यह योजना कई प्रकार से महिलाओं के लिये सहायक सिद्ध हुई है।

"दुनिया के कल्याण के लिए कोई अवसर नहीं है,
जब तक कि महिला की स्थिति में सुधार न हो।
पक्षी के लिये केवल एक पंख पर उड़ना संभव नहीं है।"

"There is no chance for the welfare
of the world unless the condition of
woman is improved. It is not possible
for a bird to fly on only one wing."

— स्वामी विवेकानन्द

महिला हेल्पलाइन योजना

हिंसा मानवता की सबसे बड़ी शत्रु है और सर्वाधिक अकारण हिंसा का शिकार विश्व में महिलाएँ होती है।

शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की हिंसा महिलाओं का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास छीन लेती है। महिला अकेली यदि प्रतिकार करती है तब अधिकांशतः वह गंभीर परिणामों का सामना करती है अतः ऐसी महिलाओं को विशेष सहायता और सुरक्षा अपेक्षित होती है। इसी विचार के साथ केन्द्र सरकार द्वारा महिला हेल्पलाइन योजना को प्रारंभ किया गया।

केंद्र द्वारा शुरू की गई महिला हेल्पलाइन योजना की सम्पूर्ण जानकारी चेक करें महिला हेल्पलाइन योजना लिस्ट देखें महिला हेल्पलाइन योजना 2023 फॉर यूपी महिला हेल्पलाइन की सूची जानें।

महिला हेल्पलाइन के सार्वभौमीकरण की योजना का उद्देश्य 24 घंटे तत्काल और आपातकालीन प्रतिक्रिया के माध्यम से हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक समान संख्या (linking with appropriate authority such as police, One Stop Centre, hospital) के माध्यम से देश भर में महिलाओं से संबंधित सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना है।

हिंसा से मुक्त जीवन का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित एक बुनियादी मानव अधिकार है। हिंसा या हिंसा का खतरा न केवल इस अधिकार का उल्लंघन करता है बल्कि महिलाओं की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है और महिलाओं और पुरुषों के बीच शक्ति के असंतुलन को बढ़ाता है।

भारत में महिला हेल्पलाइन

भारत में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन को मंजूरी दिए हुए अब बीस साल से अधिक हो गए हैं, जिससे इसकी कानूनी व्यवस्था के भीतर पुरुषों और महिलाओं की समानता के सिद्धांत को शामिल करने, सभी भेदभावपूर्ण कानूनों को खत्म करने और उन्हें अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है ऐसे कानून जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव पर रोक लगाते हैं।

तब से, कानून में न केवल हिंसा को रोकने के लिए बदलाव किए गए हैं, बल्कि एक ऐसी प्रणाली बनाई गई है जो हिंसा से प्रभावित महिलाओं का पुनर्वास करती है और हिंसा मुक्त जीवन तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करती है। इसलिए, मजबूत और एकीकृत सेवा वितरण तंत्र रखने वाली समग्र सहायता सेवा बनाने की आवश्यकता है जो हिंसा से प्रभावित महिलाओं को हिंसक स्थितियों में मजबूर होने पर संपर्क कर सके ओर इसलिए यह योजना पूरे देश मैं लागू की गई है।

योजना के लाभ एवं विशेषताएं

- समर्थन और सूचना मांगने वाली हिंसा से प्रभावित महिलाओं को टोल फ्री 24 घंटे दूरसंचार सेवा प्रदान करना।
- पुलिस/अस्पतालों/एम्बुलेंस सेवाओं/जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA) /संरक्षण अधिकारी (PO)/OSC जैसी उपयुक्त एजेंसियों के लिए रेफरल के माध्यम से संकट और गैर–संकट हस्तक्षेप की सुविधा के लिए।
- हिंसा से प्रभावित महिला को उपलब्ध उचित सहायता सेवाओं, सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए, स्थानीय क्षेत्र के भीतर उसकी विशेष स्थिति में जिसमें वह रहती है या कार्यरत है।
- अपने स्थानीय क्षेत्र के भीतर हेल्पलाइन द्वारा एक व्यापक रेफरल डेटाबेस का निर्माण और रखरखाव।

Women Helpline 2023 Highlights

सेवा का नाम	**महिला हेल्पलाइन नम्बर 2023**
द्वारा प्रायोजित	केंद्र सरकार
लाभार्थी	देश की सभी महिलायें
उद्देश्य	संकट मैं फसी महिलाओं की सुरक्षा करना
Scheme List FY	2023
स्टेटस	चालू है
विभाग	महिला एव बाल विकास भारत सरकार

Woman Helpline Numbers List All India

Women Helpline (महिला संकट में होने पर)	1091
महिला हेल्पलाइन घरेलू हिंसा के लिए	181
Police Helpline	100
National Commission For Women Helpline	011–26942369, 26944809
Student / Child Helpline Number	1098
National Human Rights Commission (MADAD)	91–11–24651330, 14433

Govt-Official Website

National Human Rights Commission	nhrc-nic-in/
National Commission for Women	nhrc-nic-in/

राष्ट्रीय महिला आयोग हेल्पलाइन

Central Social Welfare Board &Police Helpline	1091 / 1291, (011) 23317004
Shakti Shalini	10920
_	(011) 24373736 / 24373737
Saarthak	(011) 26853846 / 26524061
All India Women's Conference	10921 / (011) 23389680
JAGORI	(011) 26692700
Joint Women's Programme (also has branches in Bangalore, Kolkata, Chennai)	(011) 24619821
Sakshi – violence intervention center	(0124) 2562336 / 5018873
Saheli – a women's organization	(011) 24616485 (Saturdays)
Nirmal Niketan	(011) 27859158
Nari Raksha Samiti	(011) 23973949
RAHI Recovering and Healing from Incest- A support centre for women survivors of child sexual abuse	(011) 26238466 / 26224042, 26227647

Proposal of the Women Helpline

महिला हेल्पलाइन के सार्वभौमीकरण की योजना विशेष रूप से हिंसा से प्रभावित महिलाओं के समर्थन के लिए बनाई गई है, दोनों निजी और सार्वजनिक स्थानों पर, जिसमें परिवार, समुदाय, कार्यस्थल आदि शामिल हैं। वे महिलाएं जो शारीरिक, यौन, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दुर्व्यवहार की शिकार हैं, उम्र, वर्ग, जाति, शिक्षा की स्थिति, वैवाहिक स्थिति, नस्ल, संस्कृति और भूगोल के बावजूद समर्थन प्रदान किया जाएगा।

इसके अलावा, सम्मान से संबंधित अपराधों, एसिड हमलों, डायन शिकार, यौन उत्पीड़न, बाल यौन शोषण, तस्करी आदि के कारण किसी भी तरह की हिंसा का सामना करने वाली महिला को भी तत्काल और आपातकालीन सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

यह विशेष रूप से सहमति से यौन संबंधों में विवाहित महिलाओं/महिलाओं के संदर्भ में होता है, जिनके साथ उनके अंतरंग साथी, यौनकर्मी और ट्रांसजेंडर द्वारा बलात्कार किया जाता है, जिन पर यौन हमला किया जा सकता है, लेकिन पितृसत्तात्मक मानसिकता और पूर्वाग्रहों के कारण उपचार से इनकार कर दिया जाता है।

महिला हेल्पलाइन (Women Helpline) सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में हिंसा से प्रभावित सभी महिलाओं को 24 घंटे की आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करेगी। सभी मौजूदा आपातकालीन सेवाएं जैसे कि पुलिस (100), फायर (101), Women Helpline (1091), अस्पताल/एम्बुलेंस (102), आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाएं (108), निरू शुल्क कानूनी सेवा के लिए NALSA हेल्पलाइन (15100) और चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) को इस Woman Helpline के साथ एकीकृत किया जाएगा। प्रस्तावित महिला हेल्पलाइन 181 के साथ–साथ 108 सेवाओं के माध्यम से कुछ राज्यों में मौजूदा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के बुनियादी ढांचे का उपयोग करेगी।

अन्याय को सहने वाला अन्याय करने वाले से अधिक पाप का भागीदार होता है। यह कथन महिलाओं की प्रताड़ना सहने की सहनशक्ति पर भी लागू होता है। यदि हम स्वयं ऐसी परिस्थिति में हों या किसी अन्य महिला को ऐसी परिस्थिति में देखें जहां मानसिक, शारीरिक रूप से उसे प्रताड़ित किया जा रहा हो तो तुरंत उसकी सूचना चौबीस घंटे उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर पर दें। हमें याद रखना है की हमारी सुरक्षा के लिए हमारा शीर्ष नेतृत्व खड़ा है अतः डर कर अन्याय को स्वयं पर हावी ना होने दें।

वन-स्टॉप सेंटर योजना

वन स्टॉप सेंटर योजना किसी पीड़ित महिला के लिए आश्रय, परामर्श और सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। यह सेंटर उस माध्यम का काम भी करता है जो पीड़ित महिला को उन सभी विभागों जैसे पुलिस, चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक परामर्श आदि के साथ जोड़ता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने वन स्टॉप सेंटर्स को महिला हेल्पलाइन योजना के साथ भी जोड़ा है ताकि विषम परिस्थितियों में महिला सेंटर पर ही रह सके और स्वयं को सुरक्षित अनुभव करे।

वन–स्टॉप सेंटर योजना, जिसे सखी के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन की व्यापक योजना का एक घटक है जिसमें इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना भी शामिल है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) ने केंद्र प्रायोजित इस योजना को तैयार किया।

एमडब्ल्यूसीडी का इरादा महिलाओं को एकीकृत सहायता प्रदान करने और उन्हें निजी या सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा के दुष्चक्र से बचाने के लिए देश भर में वन–स्टॉप सेंटर स्थापित करने का है।

वन-स्टॉप सेंटर योजना क्या है ?

भारत में, लिंग आधारित हिंसा की कई अभिव्यक्तियाँ हैं। घरेलू और यौन हिंसा का सामना करने से लेकर ऑनर किलिंग, दहेज, एसिड हमले, डायन शिकार, तस्करी, लिंग–चयनात्मक गर्भपात को लागू करने जैसी जहरीली प्रथाओं का शिकार होने तक, महिलाओं और युवतियों से उनकी गरिमा और अस्तित्व छीन लिया जाता है। इसके अलावा, अनुचित अन्याय उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और उनके स्वास्थ्य और मानसिक अस्तित्व को बाधित करते हैं, जिससे उनका विकास रुक जाता है।

ओएससीएस उनकी उम्र, वर्ग, शैक्षिक स्थिति, संस्कृति आदि की परवाह किए बिना शारीरिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक या यौन शोषण से पीड़ित महिलाओं की सहायता करता है। इसके अलावा, यह उन्हें पूर्ण सहायता और निवारण प्रदान करेगा और उन्हें जीवन की बेड़ियों से उभरने में मदद करेगा।

वन-स्टॉप सेंटर योजना के उद्देश्य क्या हैं ?

यह योजना लिंग आधारित क्रूरता को संबोधित करती है और इसका उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए कई सेवाओं में तेजी लाना और सुविधा प्रदान करना है।

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य निजी या सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं की वकालत करना है, जो उनके घरों की परिधि के भीतर, कार्यस्थलों पर या समुदाय में कहीं भी हो सकती हैं।

- प्रभावित महिलाओं की सहायता के लिए तत्काल, आपातकालीन, गैर–आपातकालीन सहायता प्रदान करना, जिसमें कानूनी, चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवाएं शामिल हैं।

वन-स्टॉप सेंटर योजना की विशेषताएं क्या हैं ?

वन–स्टॉप सेंटर योजना एक प्रभावित व्यक्ति को कई सेवाओं की सुविधा प्रदान करती है। ओएससीएस विवरण इस प्रकार हैं।

- **आपातकालीन प्रतिक्रिया और बचाव सेवाएँ:** जैसे ही कोई महिला अपनी समस्या लेकर आती है, ओएससी बचाव और रेफरल सेवाएँ प्रदान करेगा। वे 108 सेवाओं और पीसीआर वैन के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की मदद से काम करते हैं ताकि प्रभावित महिला नजदीकी अस्पताल या आश्रय गृह तक पहुंच सके।
- **चिकित्सा सहायता:** प्रभावित महिलाओं को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार चिकित्सा सहायता और जांच प्राप्त होती है।
- **मनो–सामाजिक / सहायता परामर्श:** एक दुखद घटना प्रभावित व्यक्ति के आत्मविश्वास को नष्ट कर देती है। इसलिए, वन–स्टॉप सेंटर की योजना में एक कुशल परामर्शदाता भी शामिल है जो परामर्श सेवा का संचालन करेगा और प्रभावित महिला को समस्या का समाधान करने और न्याय पाने में मदद करेगा।
- **कानूनी सहायता और परामर्श:** ओएससी किसी प्रभावित व्यक्ति को न्याय पाने में मदद करने के लिए पैनल में शामिल वकील या राष्ट्रीय / राज्य / जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण भी प्रदान करता है।
- **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा:** पुलिस और अदालती कार्यवाही को तेज करने के लिए, ओएससी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान करता है जहां पीड़ित महिला अपने बयान भी दर्ज कर सकती है।

वन-स्टॉप सेंटर योजना के लिए पात्रता मानदंड

वन–स्टॉप सेंटर योजना 18 वर्ष से अधिक और उससे कम उम्र की उन सभी महिलाओं की सहायता करेगी जिनकी जाति, पंथ, वैवाहिक स्थिति, धर्म या यौन अभिविन्यास की परवाह किए बिना हिंसा के प्रकोप से खतरा है। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में हर आयु वर्ग आसानी से योजना का लाभ उठा सकता है।

वन-स्टॉप सेंटर योजना के क्या लाभ हैं?

वन–स्टॉप सेंटर योजना हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए एक आदर्श मंच है। आइए देखें कि यह योजना किसी प्रभावित व्यक्ति को कैसे लाभ पहुंचाती है।

- कोई भी संकटग्रस्त महिला स्वयं अपना मामला दर्ज कराकर इस योजना तक आसानी से पहुंच सकती है। वह अपनी ओर से किसी और को भी भेज सकती है। प्रभावितों द्वारा उठाए गए मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है।
- प्रभावित महिलाएं अपने बच्चों के साथ अधिकतम 5 दिनों के लिए ओएससी में अस्थायी आश्रय का लाभ उठा सकती हैं। हर उम्र की लड़कियाँ अपनी माँ के साथ रह सकती हैं; हालाँकि, आठ वर्ष से अधिक उम्र के लड़के ओएससी में अपनी माँ के साथ नहीं रह सकते हैं।
- इसके अलावा, प्रभावित महिलाओं को भोजन, दवा, कपड़े और अन्य बुनियादी सुविधाएं जैसे सैनिटरी नैपकिन, साबुन, शैम्पू आदि मिलेंगी।

वन-स्टॉप सेंटर योजना का लाभ कैसे उठाएं?

एक प्रभावित महिला निम्नलिखित तरीकों से वन–स्टॉप सेंटर योजना तक पहुंच सकती है।

- वह स्वयं जाकर सहायता मांग सकती है और शिकायत दर्ज करा सकती है।
- ओएससी तक पहुंचने के लिए किसी भी व्यक्ति के माध्यम से, उदाहरण के लिए समुदाय–विचारशील व्यक्ति, रिश्तेदार, मित्र, एनजीओ या किसी अन्य फ्रंटलाइन कार्यकर्ता के माध्यम से।

किसी पीड़ित महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराने या समस्या बताने के तुरंत बाद, समस्या या अपराध से संबंधित जिले या क्षेत्र के डीपीओ/पीओ/डीएम/डीवाईएसपी/एसपी/सीएमओ को संदेश प्राप्त होगा।

इसके अलावा, जब भी कोई संकटग्रस्त महिला स्वयं या अपनी ओर से किसी को भेजकर सहायता के लिए ओएससी से संपर्क करती है, तो मामला वांछित प्रारूप के बाद एक सिस्टम में पंजीकृत हो जाता है, और तुरंत एक अद्वितीय आईडी उत्पन्न हो जाएगी।

संक्षेप में कहें तो किसी भी समाज की प्रगति मुख्यतः महिलाओं की स्थिति में उन्नति पर निर्भर करती है। वन–स्टॉप सेंटर योजना महिलाओं को हिंसा के खिलाफ आवश्यक सहायता प्रदान करके, उन्हें न्याय पाने के लिए प्रेरित करके, उन्हें सशक्त बनाने में मदद करती है।

''स्त्रयै देवः स्त्रयै प्राणः''

नारियां देव हैं, नारियां स्वयं जीवन है।

महिला पुलिस वॉलंटियर स्कीम

माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से केंद्रीय सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2016 में प्रारंभ की गई एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य महिलाओं और पुलिस विभाग के बीच में एक ऐसा सामंजस्य और आपसी सहयोग स्थापित करना है जिससे महिलाओं में सुरक्षा एवं सशक्तिकरण की भावना स्थापित होने में मदद मिल सके ।

यह योजना हमारे देश में सदियों से चले आ रहे लिंगभेद और असमानता को दूर करने के प्रयास के रूप में सर्वप्रथम हरियाणा में प्रारंभ की गई और उसके पश्चात कई और राज्यों में भी प्रारंभ की गई ताकि पुलिस और कम्युनिटी के बीच की खाई को पाटा जा सके।

इसके उद्देश्यों में महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना भी एक है। जिला स्तर पर इस योजना का क्रियान्वयन किया गया जिसमें शैक्षणिक योग्यता, पृष्ठभूमि एवं समाजसेवा की भावना को देखते हुए महिला वॉलंटियर्स का चयन कर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग में पुलिस की कार्यप्रणाली, लॉ एण्ड ऑर्डर, आपराधिक मामलों को रोकना, जाँच में भागीदारी का प्रशिक्षण और महिला अधिकारों की विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती है।

लखपति दीदी योजना

लखपति दीदी योजना देश में गरीब महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण के द्वारा आर्थिक लाभ पहुँचाने और उन्हें स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई योजना है। इसके अंतर्गत महिलाओं को प्लंबिंग, ड्रोन संचालन और मरम्मत के साथ एलईडी बल्ब आदि बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है जिससे उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को सभी बहनों के हितार्थ सरल और सुगम बनाया है अतः किसी भी उम्र की महिला इस के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण ले सकती है और इसके लिए उसे केवल अपने राज्य के किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ना होगा।

इस योजना के अंतर्गत अभी तक हमारी केंद्र सरकार द्वारा 2 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और इस का दायरा बढ़ा कर अब 3 करोड़ कर दिया गया है ताकि बहनों को स्वावलंबी बनाया जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य भारत की नारी शक्ति को सबल–सशक्त, स्वाभिमानी और स्वावलंबी बनाना है ताकि हमारा देश अपनी पूर्ण सामर्थ्य के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। उनके इस उद्देश्य के प्राप्ति में "लखपति दीदी" योजना कारगर सिद्ध होगी, इसमें कोई संशय नहीं।

आवेदन की प्रक्रिया

लखपति दीदी बनने के लिए महिलाओं को किसी स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ कर एक बिजनेस प्लान तैयार करना होगा। उसके पश्चात इस प्लान का आवेदन सरकार के पास भेजा जाता है जहां बिजनेस प्लान की समीक्षा करने के बाद यदि आपका आवेदन स्वीकार हो जाता है तो " लखपति दीदी " योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज के आवेदन करने वाली महिला को मिलता है।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदन करते समय महिलाओं को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऐड्रेस प्रूफ, आय का सर्टिफिकेट, अपना एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट का विवरण और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे मूलभूत दस्तावेज आदि ही जमा करवाने होते हैं।

''धन्यवाद मोदी जी''

एक संदेश

किसी भी परिवर्तन का प्रारंभ बहुत छोटे छोटे प्रयासों से ही होता है। परिवर्तन सकारात्मक हो तो वह सरल प्रवाह के साथ आगे बढ़ता है। बिलकुल वैसे ही जैसे अनेक धाराएँ मिल कर नदी और अनेक नदियाँ मिल कर विशाल सागर का निर्माण करती हैं।

स्त्री सदियों से परिवर्तन के उतार चढ़ावों के साथ सामंजस्य बैठाती आई है और उसने यह प्रमाण दिया है की वह अपनी स्थिति, जीवन की परिस्थिति और संघर्षों से कभी हार मान कर रुकी नहीं, डरी नहीं और झुकी नहीं। नारी मन को केवल नारी ने समझा हो ऐसा नहीं है, नारी के लिए केवल पुरुष बाधा बना हो ऐसा भी नहीं है। कहीं वह स्वयं बदलाव की आवश्यकता के महत्व को समझने में चूकी है तो कभी राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद जैसे पुरुषों ने स्त्री की स्वतंत्रता और समानता को ही विकास का आधार मान उसके पाँवों में पड़ी बेड़ियाँ खोल उसे पुरुषप्रधान समाज में बराबरी का स्थान देने की पुरजोर वकालत की है। सोचनीय विषय यह है की आज के आधुनिक और विकसित समाज में भी एक वर्ग ऐसा है जहां स्त्री को एक सशक्त सहारे का संबल देने की आवश्यकता है। उसके पैरों के तले की जमीन को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

हमारे देश की कमान आज सौभाग्य से ऐसे मजबूत हाथों में है कि जो हाथ देश की महिलाओं का भविष्य उज्ज्वल बनाने कि बागडोर दृढ़ता से थामे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पद ग्रहण के बाद से ही महिलाओं के कल्याण के लिए ऐसी अनेक योजनाओं की रूपरेखा बनाना प्रारंभ किया जो स्त्री के सम्मान, स्वाभिमान और स्वावलंबन का वो बीज है जो एक दिन महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण का वटवृक्ष बनेगा ।

हमारा यह दायित्व है कि इन योजनाओं कि जानकारी हम देश के कोने कोने में बसी बहनों तक पहुँचाए और उन्हें बताएँ की किसी भी परिस्थिति में वे अकेली और असहाय नहीं है। हमारे इस महान और गौरवशाली देश का नेतृत्व अपनी कर्तव्यनिष्ठा, सहृदयता और उनकी कठिन जीवन परिस्थिति को सरल बनाने के संकल्प और प्रयासों के साथ सदैव उनके साथ खड़ा है ।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को महिलाओं के हितार्थ लागू की गई समस्त कल्याणकारी योजनाओं के लिए उनकी समस्त देशवासिनी बहनों की ओर से धन्यवाद एवं सादर वंदन ।

– अर्चना मीना

संकलन, परिकल्पना एवं प्रस्तुतिकरण

अर्चना मीना

प्रकाशन

2 सितम्बर, 2023

स्वप्रकाशित

सर्वाधिकार लेखकाधीन

लेखक परिचय

अर्चना मीना

सोशल एक्टिविस्ट

राष्ट्रीय सह-समन्वयक – स्वावलंबी भारत अभियान
अखिल भारतीय महिला सह प्रमुख – स्वदेशी जागरण मंच
डायरेक्टर – होटल अनुरागा पैलेस, रणथंभौर
सीईओ – शबरी ऑर्गेनिक कृषि एवं डेयरी फार्म, सवाई माधोपुर

फोन : +91-7462-22 1000 • **मो.**: +91 94 13 94 1000
ई–मेल : archanameenaoffice@gmail.com **वेबसाइट** : www.archanameena.com
मंगलमूर्ति, होटल अनुरागा पैलेस के पीछे, रणथंभौर रोड़, सवाई माधोपुर – 322001 (राज.)
/ Archana.Social / Archana.Social / Archana_Social / @Archana.Social